राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 5 (219) /निपेवि/नियम/2010/पार्ट–I/1401-1109-H दिनांकः 19/09/2017

अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
अजमेर।

विषय :– विभिन्न विभागों/निगम/बोर्ड इत्यादि से सैकण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कार्मिकों को पंचायती राज संस्थाओं में समायोजित किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 704 दिनांक 01.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में पंचायत राज विभाग के आदेश क्रमांक 3195 दिनांक 03.08.2017 के क्रम में आप द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

क्र.स.	चाहा गया मार्गदर्शन	विभागीय टिप्पणी
1.	आदेश दिनांक 02.10.2010 के बिन्दु संख्या 4 (3) के बारे में उपादान हेतु सेवा की गणना कब से की जावे ? स्पष्ट करावें तथा राजकीय उपक्रम विभाग (बीपीई) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 11 (17/सीएसई/सरप्लस/79/3022/ दिनांक 02.07.1991 की प्रति भी उपलब्ध करावें।	पंचायत राज विभाग का आदेश 02.10.2010 के बाद 03.08.2017 के आदेश के बिन्दु संख्या 2 " राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 14 के राजकीय निर्णय 2 के अनुसार पेंशन के हकदार होगे। पेंशन की परिभाषा में उपादान शामिल है। राजकीय उपक्रम विभाग के आदेश दिनांक 02.07.1991 की प्रति संलग्न की जा रही है।
2.	पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 28 (160) 3 ग्राविवि/प्र.2/मा.द./11/1370 दिनांक 23.05.2011 की प्रति संलग्न है, के अनुसार ग्राम सेवकों को ग्राम सेवकों की वेतन श्रृंखला देय है एवं ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण तिथी से ही चयनित वेतनमान देय है। ऐसे कर्मचारी यदि पूर्व विभाग में ग्राम सेवक की वेतन श्रृंखला के अधिकतम से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है, क्या उन्हें व्यक्तिगत वेतन देय है या नहीं ?	पंचायत राज विभाग का आदेश 23.05.2011 सुस्पष्ट है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 872 दिनांक 13.03.2013 एवं पत्रांक 677 दिनांक 09.03.2012 में स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट की गई है, के अनुसार कार्यवाही करे।
3.	पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक 677 दिनांक 09.03.2012 की प्रति उपलब्ध करावें।	पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक 677 दिनांक 09.03.2012 की प्रति संलग्न है।
4.	तिलम संघ, शुगर मिल, स्पिन फैड, गंगानगर काटन मिल, भेड उन फैडरेशन स्टेट हैण्डलूम के कर्मचारी जो ग्राम सेवक के पद पर प्रतिनियुक्ति होकर कार्यरत थे, को नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई थी, क्या ऐसे कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्राम सेवक की वेतन श्रृंखला दी जानी है ?	हाँ, पंचायत राज विभाग का आदेश क्रमांक एफ 28 (160) 3 ग्राविप/प्र.2/मा.द./11/1370 दिनांक 23.05.2011 का बिन्दु संख्या 3 सुस्पष्ट है। "तिलम् संघ, शुगर मिल, स्पिन फैड, गंगानगर कॉटन मिल, भेड उन फैडरेशन, स्टेट हेण्डलूम इत्यादि के कर्मचारी जो ग्राम सेवक के पद पर प्रतिनियुक्ति होकर कार्यरत थे इन कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी जिन्हें कोई वेतन श्रृंखला नहीं दी जा रही थी। ग्राम सेवक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्राम सेवक की वेतन श्रृंखला पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 3265 दिनांक 02.10.2010 के बिन्दु संख्या 5 ग के अनुसार पालना की जावे।"
5.	समायोजित कार्मिकों की सीपीएफ राशि राजकोष में जमा किये जाने का प्रमाण पत्र विभाग से किस भाषा में अंकित कराया जाना अपेक्षित है।	समायोजित कार्मिकों की सीपीएफ राशि राजकोष में जमा कराने का प्रमाण पत्र निम्नानुसार भाषा में विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति के द्वारा जारी किया जाना है। "प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र/पुत्री श्री..... .... पद पंचायत समिति ..... से दिनांक .....